

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर मध्यप्रदेश
-:विविध संशोधन आदेश:-

क्रमांक 178/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक 21-08-2025

प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, कार्यालयीन विविध आदेश क्र.-175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विविध आदेश क्र. 175 दिनांक 14.08.2025 के पृष्ठ क्र. 33, 34, 35 पर अंकित सारणी के सरल क्रमांक 70, 70-अ, 71 एवं 71-अ विलोपित किये जाकर उसके स्थान पर नवीन सरल क्रमांक 70, 70-अ, 71 एवं 71-अ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाते हैं:-

स. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क्र.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4	5
70.	चतुर्थ अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (श्री विक्रम भार्गव)	सत्र खण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1.	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना क्रमांक सी/2835/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 24.04.2025 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं. 03 में वर्णित विशेष न्यायालय जिसका गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)83/03/21-बी(1)/5846/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय का पृष्ठांकन क्रमांक बी/1848 तीन-6-4/03 जबलपुर दिनांक 27.05.2024 के द्वारा म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 20.05.2024 फा. क्रमांक 2172/21-ब(एक)/2024, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018, दिनांक 07.12.2018 के द्वारा डबरा के विद्युत क्षेत्र के तहत उद्भूत समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा तत्संबंधी अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2.	तहसील डबरा एवं भितरवार के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" से संबंधित समस्त मामले, जमानत आवेदन पत्र एवं समस्त विविध कार्यवाहियाँ।

			3.	समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
			4.	उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
70 (अ).	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर (श्री विक्रम भार्गव)	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1.	रु. 2,00,00,001/-(दो करोड़ एक) से रु. 3,00,00,000/-(तीन करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले।
			2.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डबरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा (रिक्त न्यायालय) एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डबरा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।
			3.	आरक्षी केन्द्र आंतरी, डबरा सिटी से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			4.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
			5.	उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
71.	पंचम अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.))	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1.	म.प्र.उच्च न्यायालय के ज्ञापन कं. डी/291/तीन-6-6/84 दिनांक 10.01.13 के अनुसार बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/हत्या के साथ बलात्संग आदि के मामले एवं इनसे उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ एवं उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व जमानत आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा।
			2.	तहसील भितरवार स्थित न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण आदि मामले उक्त न्यायालयों को स्वयमेव अंतरित माने जावेंगे तथा पश्चात उनका केन्द्रीय पंजीयन सत्र न्यायालय में कराया जावेगा।

			3. तहसील भितरवार के अंतर्गत आने वाला थाना करहिया तथा डबरा थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र डबरा देहात, पिछोर एवं गिर्जोरा के संबंध में अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 4. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 5. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
71 (अ).	पंचम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर {श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.)}	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. रु. 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) से रु. 2,00,00,000/- (दो करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भितरवार के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें। 3. आरक्षी केन्द्र करहिया, बेलगढ़ा एवं बिलौआ से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. अंतरित आवेदन पत्र एवं भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियाँ। 5. लोक परिसर (अनाधिकृत अधिपत्य से बेदखली) अधि. 1971 की धारा 9 के अंतर्गत तहसील डबरा तथा भितरवार के प्रस्तुत मामले। 6. म.प्र.नगर पालिका अधि. के प्रावधानों के अंतर्गत अपीले तथा चुनाव याचिकाएँ। 7. धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुर्नवास अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ। 8. म.प्र. म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 9. तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे सभी प्रकरण तथा अपीलें जिनका उल्लेख

			कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। (प्रधान जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
		10.	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा सीसीडी/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में कमशः किराया/क्षतिपूर्ति की राशि जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ एवं सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्णय/आदेश तथा रिमाण्ड प्रकरणों में आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाहियाँ।
		11.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
		12.	उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 ग्वालियर
 19/06/2025

5474

पृष्ठांकन क्रमांक...../एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19 ग्वालियर, दिनांक..... 21-8-25
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर।
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायाधीशगण, ग्वालियर/डबरा/भितरवार,
5. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउण्टर, जिला न्यायालय ग्वालियर/डबरा/भितरवार
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार।
8. शासकीय अभिभाषक, जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्वालियर।
9. उपसंचालक, अभियोजन शाखा, जिला न्यायालय, ग्वालियर।
10. जिला अभियोजन संचालनालय, जिला न्यायालय ग्वालियर।
सं.क्र. 06 लगायत 10 की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय ग्वालियर।
- ~~12.~~ जे.एस.ए., जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर उक्त संशोधित विविध आदेश की प्रति ई-मेल की कार्यवाही किये जाने एवं अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
13. लेखापाल, जिला न्यायालय ग्वालियर,
14. प्रस्तुतकार/स्टेनो, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर,
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. लिपिक, पूछताछ केन्द्र/ऑफिस मोहरीर, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

ग्वालियर
19